भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 16/02/२०२२

विषय: **सहायक निदेशक (एंटोमोलॉजी) (समूह 'क') राजपत्रित गैर चिकित्सा** के पद लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक सूचना राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) एनसीडीसी में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन AB.14017/61/2008- स्था . आरआर (के अनुपालन में। दिनांक13.10.2015 , राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) एनसीडी, दिल्ली110 054 – में **सहायक निदेशक (एंटोमोलॉजी) (समूह 'क') राजपत्रित गैर चिकित्सा** के पद लिए भर्ती नियम आदि युक्त मसौदा अधिसूचना संलग्न हैं।

2 मसौदा भर्ती नियमों पर यदि कोई साझेदार किसी प्रकार की आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने के इच्छुक हों तो मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर श्री मनीष कुमार, अवर सचिव, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 752–ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को लिखित में दे सकते हैं या manish.kr01@gov.in,publichealth2@yahoo.com पर ई–मेल कर सकते हैं ।

मनीष 16/2/2022

(मनीष कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष–011–23063068

(मनीष कुमार)
(Manish Kumar)
अवर सचिव
Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर [भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशानार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14.2....2022

सा.का.नि................................... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान , दिल्ली में (श्रेणी–'क पद) भर्ती नियम 1970, जब तक ये नियम **सहायक निदेशक (एंटोमोलॉजी) (समूह 'क'), राजपत्रित, पद गैर चिकित्सा** के संबंध में हैं, से संबंधित कार्य जो हो चुके हैं या नहीं करने हैं को स्थगित करते हुए, इसके स्थान पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, एन.सी.डी.सी. दिल्ली में **सहायक निदेशक (एंटोमोलॉजी) (समूह 'क'), राजपत्रित, पद गैर चिकित्सा**,राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये स्वा.सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम – राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र **सहायक निदेशक (एंटोमोलॉजी) (समूह 'क'), राजपत्रित, पद गैर चिकित्सा** भर्ती नियम–2021 .
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उक्त पदो के साथ संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **आयोग्यता** – वह व्यक्ति–

क जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या
ख जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों का, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं होगा, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

मनीष
16/2/2022
(मनीष कुमार)
(Manish Kumar)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष – 011 23063068

अवर सचिव
Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लि अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (एंटोमोलॉजी) समूह 'क', राजपत्रित,गैर चिकित्सा राष्ट्रीय रोग नियेत्रण केन्द्र, दिल्ली ।	* 5 (2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स (67700–208700 रूपए) में स्तर–11	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की छूट) **टिप्पण** :– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि असम, मेघालय, अरूणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर के लद्दाख मंडल, लाहौल एवं स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के पांगी उप–मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	**आवश्यक** : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एंटोमोलॉजी सहित जूलोजी में में स्नात्कोत्तर 2. 7 वर्ष का अध्यापन में अनुभव तथा / या मैडिकल एंटोमोलॉजी या मलेरियोलॉजी या फाईलेरियोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान अनुभव संबंधी अर्हताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि राज्य से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है)) **वांछनीय** 1. एंटोमोलॉजी में डॉक्टरेट । 2. मैडिकल एंटोमोलॉजी या मलेरियोलॉजी या फाईलेरियोलॉजी में अग्रिम प्रशिक्षण ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
नहीं ।	सीधी भर्ती के लिए दो साल।	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत पदोन्नति पर अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
पदोन्नति : उप सहायक निदेशक (एंटोमोलॉजी), एंटोमोलॉजिस्ट (सेन्ट्रल क्रॉस चैकिंग ऑरगेनाईजेशन, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम) सहायक एंटोमोलॉजिस्ट, (नेशनल सेंटर फॉर कम्यूनिकेबल डिजीजिस) तथा अनुसंधान अधिकारी (एंटोमोलॉजी) के पदपर स्तर 10 में । जूलोजी सहित एंटोमोलॉजी में एम.एस.सी डिग्री तथा नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना (इन सीटु पदोन्नति के नियम 1990 के अंतर्गत) सदृश ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति **(पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)** 1. ग्रुप 'ए' डीपीसी (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, यूपीएससी-अध्यक्ष 2. अतिरिक्त। सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उप. महानिदेशक/अतिरिक्त। महानिदेशक, डीटीई जीएचएस- सदस्य। ग्रुप 'ए' डीपीसी (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष 2. उप. महानिदेशक / निदेशक- सदस्य 3. निदेशक, एनसीडीसी- सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

फाइल नंबर ए.12018/1/2019-पीआरसी(एडी/एंट)

मनीष 16/2/2022

(मनीष कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष – 011 23063068

(मनीष कुमार)
(Manish Kumar)
अवर सचिव
Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
Nirman Bhawan, New Delhi-110011